



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 705]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 2014/पौष 10, 1936

No. 705]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 2014/PAUSHA 10, 1936

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 4 सितम्बर, 2014

विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (चौथा संशोधन) विनियमावली, 2014

सा.का.नि. 930(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (ए), उप-धारा (3) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 23/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, समय-समय पर यथा संशोधित, विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (चौथा संशोधन) विनियमावली, 2014 कहलाएंगे।

(ii) वे 8 नवंबर 2013 से लागू समझे जाएंगे।@

2. विनियमों में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000 में,—

ए. विनियम 3 में, उप-विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

"(4) माल/सॉफ्टवेयर के निर्यात के संबंध में निर्यात आगम-राशि की वसूली तीसरे पक्ष (Third party) से होने के बारे में निर्यातक द्वारा उचित घोषणा फॉर्म में विधिवत घोषणा की जानी चाहिए।"

बी. विनियम 16 में, उप-विनियम (1) में, "जहां निर्यातक भारत से बाहर के खरीदार से (ब्याज के साथ या बिना ब्याज) अग्रिम भुगतान प्राप्त करता है, निर्यातक यह सुनिश्चित करने के लिए दायित्व के अधीन होगा कि" शब्दों को "जहां निर्यातक भारत से बाहर के खरीदार/निर्यातक द्वारा निर्यात घोषणा पत्र में बताए गए तीसरे पक्ष (Third party) से (ब्याज के साथ या बिना ब्याज) अग्रिम भुगतान प्राप्त करता है, निर्यातक यह सुनिश्चित करने के दायित्व के अधीन होगा कि" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं.फेमा. 317/2014-आरबी]

सी. डी. श्रीनिवासन, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी:

(1) @ यह स्पष्ट किया जाता है कि इन विनियमों को पूर्व प्रभावी किए जाने से किसी भी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(2) मूल विनियमावली 8 मई, 2000 के सा.का.नि. 409(अ), के जरिये सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी थी:

- a. 21 मार्च 2001 के सा.का.नि. 199(अ),
- b. 8 जुलाई 2002 के सा.का.नि. 473((अ),
- c. 29 सितंबर 2003 के सा.का.नि. 773((अ),
- d. 22 नवंबर 2003 के सा.का.नि. 900(अ),
- e. 23 अप्रैल 2004 के सा.का.नि. 279(अ),
- f. 8 जून 2004 के सा.का.नि. 352(अ),
- g. 5 अगस्त 2008 के सा.का.नि. 576(अ),
- h. 17 दिसम्बर 2012 के सा.का.नि. 896(अ),
- i. 29 मई 2013 के सा.का.नि. 342(अ),
- j. 27 मई 2014 के सा.का.नि. 362(अ),
- k. 8 जुलाई 2014 के सा.का.नि. 434(अ),

RESERVE BANK OF INDIA
(Foreign Exchange Department)
(CENTRAL OFFICE)
NOTIFICATION

Mumbai, the 4th September, 2014

Foreign Exchange Management (Export of Goods & Services) (Fourth Amendment) Regulations, 2014

G.S.R. 930(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1), sub-section (3) of Section 7 and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in partial modification of its Notification No. FEMA.23/2000-RB dated May 3, 2000, Reserve Bank of India makes the following amendment in the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) Regulations, 2000, as amended from time to time, namely :

1. Short title and commencement

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) (Fourth Amendment) Regulations, 2014.
- (ii) They shall be deemed to have come into force from November 08, 2013. @

2. Amendment to the Regulations

In the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) Regulations, 2000, following changes may be made:

- a) in Regulation 3, after sub-regulation (3), following shall be added, namely:—

“(4) Realization of export proceeds in respect of export of goods/software from third party should be duly declared by the exporter in the appropriate declaration form.”

- b) In Regulation 16, in sub-regulation (1) for the words,—

“Where an exporter receives advance payment (with or without interest), from a buyer outside India, the exporter shall be under an obligation to ensure that—” the words, “Where an exporter receives advance payment (with or without interest), from a buyer/third party named in the export declaration made by the exporter, outside India, the exporter shall be under an obligation to ensure that -” shall be substituted.

[No. FEMA. 317/2014-RB]

C. D. SRINIVASAN, Chief General Manager

Foot Note:

- (i) @It is clarified that no person will be adversely affected as a result of the retrospective effect being given to these Regulations.

The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No. 409(E), dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended *vide*—

- a. G.S.R. No. 199 (E) dated March 21, 2001
- b. G. S. R. No. 473 (E) dated July 8, 2002
- c. G. S. R. No. 773 (E) dated September 29, 2003
- d. G. S. R. No. 900 (E) dated November 22, 2003
- e. G. S. R. No. 279 (E) dated April 23, 2004
- f. G. S. R. No. 352 (E) dated June 8, 2004
- g. G. S. R. No. 576 (E) dated August 5, 2008
- h. G. S. R. No. 896 (E) dated December 17, 2012

- i. G. S. R. No. 342 (E) dated May 29, 2013
- j. G. S. R. No. 362 (E) dated May 27, 2014
- k. G. S. R. No. 434 (E) dated July 8, 2014

अधिसूचना

मुम्बई, 4 सितंबर, 2014

विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2014

सा.का.नि. 931(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की उप-धारा 6 के खंड (i), धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.14/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा समय-समय पर यथा संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2014 कहलाएंगे।
- (बी) वे 8 नवंबर, 2013 से लागू समझे जाएंगे@।

2. विनियमों में संशोधन

- 1. विनियम 3 में, उप-विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

"(4) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को यह अनुमति दी गई है कि वे माल/सॉफ्टवेयर के निर्यात के लिए तीसरे पक्ष (third party) (खरीदार से भिन्न पक्ष) से भुगतान प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करें, बशर्ते तीसरे पक्ष जिसके माध्यम से निर्यात आगम-राशि वसूली जाएगी, उसके संबंध में निर्यातक ने निर्यात संबंधी उचित घोषणा फार्म में विधिवत घोषणा की हो और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट कतिपय अन्य शर्तों का पालन किया गया हो।"

- 2. विनियम 5 में, उप-विनियम (2) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

"(3) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को यह अनुमति दी गई है कि वे माल/ सॉफ्टवेयर के आयात के लिए तीसरे पक्ष (third party) (आपूर्तिकर्ता से भिन्न पक्ष) को भुगतान करने की अनुमति प्रदान करें, बशर्ते भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन किया गया हो।"

[सं. फेमा. 318/2014-आरबी]

सी. डी. श्रीनिवासन, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी:

- (i) @यह स्पष्ट किया जाता है कि इन विनियमों को पूर्व प्रभावी किए जाने से किसी भी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।
- (ii) मूल विनियमावली 5 मई 2000 के सा.का.नि. 397(अ), के जरिये सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी थी:
(ए) 29 सितंबर, 2003 के सा.का.नि. 772(अ),
(बी) 2 फरवरी, 2005 के सा.का.नि. 53(अ),

(सी) 12 जुलाई, 2013 के सा.का.नि. 479(अ),

(डी) 29 मई, 2013 के सा.का.नि. 343(अ),

(ई) 7 मई, 2014 के सा.का.नि. 322(अ),

NOTIFICATION

Mumbai, the 4th September, 2014

Foreign Exchange Management (Manner of Receipt & Payment) (Second Amendment) Regulations, 2014

G.S.R. 931(E).—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section 6, sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in partial modification of its Notification No.FEMA.14/2000-RB dated May 3, 2000, Reserve Bank of India makes the following amendment in the Foreign Exchange Management (Manner of Receipt & Payment) Regulations, 2000, as amended from time to time, namely:

1. Short title and commencement

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Manner of Receipt & Payment) (Second Amendment) Regulations, 2014

(ii) They shall be deemed to have come into force from November 08, 2013.@

2. Amendments to the Regulations

1. In Regulation 3, after sub regulation (3), the following should be added, namely:

“(4) Authorized Dealer Category- 1 (AD Category-I) banks have been permitted to allow payments for export of goods/software to be received from a Third party (a party other than the buyer) provided, the details of the Third party through which the export proceeds are being realized, have been duly declared by the exporter in the appropriate export declaration form and certain other conditions as stipulated by Reserve Bank of India.”

2. In Regulation 5, after sub regulation (2), the following should be added, namely:

“(3) Authorized Dealer Category- 1 (AD Category-I) banks have been permitted to allow payments to be made for import of goods/software to a Third party (a party other than the supplier) subject to conditions as stipulated by Reserve Bank of India.”

[No. FEMA. 318/2014-RB]

C. D. SRINIVASAN, Chief General Manager

Foot Note:

(i) @It is clarified that no person will be adversely affected as a result of the retrospective effect being given to these Regulations.

(ii) The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* G.S.R. No. 397(E), dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, Sub-Section (i) and subsequently amended *vide*:—

- a. G.S.R. No. 772 (E) dated September 29, 2003;
- b. G.S.R. No. 53 (E) dated February 2, 2005;
- c. G.S.R. No. 479(E) dated July 12, 2013
- d. G.S.R. No. 343(E) dated May 29, 2013
- e. G.S.R. No. 322(E) dated May 7, 2014